ए०एफ०आर०

छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर,

एम०सी०आर०सी० संख्या 1735/2023

आरक्षित तिथि 27.06.2023

परिदत्त तिथि 17.07.2023

श्री लक्ष्मीकांत तिवारी पुत्र स्व. श्री वृन्दावन प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 01, शंकर नगर, महासमुंद, छत्तीसगढ़

..... आवेदक

//बनाम//

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, द्वारा– निज सहायक निदेशक श्री निर्मल झारवाल रायपुर आंचलिक कार्यालय रायपुर (छ०ग०) 492001

.... अनावेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक द्वारा: श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अर्शिया घोष, श्री हर्ष वर्धन परगनिया, सुश्री सलोनी वर्मा एवं श्री हर्षित शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी द्वारा: श्री सौरभ कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता।

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास, सी०ए०वी० आदेश</u>

1– यह आवेदक को नियमित जमानत देने के लिए दं०प्र०सं० 1973 की धारा 439 के तहत दायर पहली जमानत याचिका है, जिसे अपराध संख्या ई०सी०आई० आर०/आर०पी०जेड०ओ०/09/2022, दिनांक 29.09.2022 के संबंध में दिनांक 13.10.2022 को गिरफ्तार किया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (संक्षेप में) पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 3 और 4 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ०ग०) में पंजीकृत।

2– अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत 03.06.2022 को होटल शेरेटल ग्रैण्ड बैंगलुरू के होटल के कमरे में श्री सूर्यकांत तिवारी नामक व्यक्ति के यहां तलाशी एवं जप्ती कार्यवाही के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जिसके आधार पर आयकर विभाग ने कड्डुगोड़ी पुलिस स्टेशन बैंगलुरू में भा०दं०सं० की धारा 186, 204 और 353 के साथ धारा 120–बी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कारण एफ०आई०आर० दर्ज की गई थी। आगे की जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने ई०सी०आई०आर० नंबर आर०पी०जेड०ओ०/09/2022 दर्ज किया और आगे की जांच की गई जांच के दौरान वर्तमान आवेदक को तलब किया गया और अंत में आवेदक को 13.10.2022 को गिरफ्तार कर लिया गया।

3– अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियोजन पक्ष ने श्रीमती सौम्या चौरसिया और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के कब्जे से डायरियां बरामद की है, जिसमें श्रीमती सौम्या चौरसिया और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के बीच नगद लेनदेन का पता चलता है। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि सूर्यकांत तिवारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें नष्ट करना था और सूर्यकांत तिवारी, अपने भाई रजनीकांत तिवारी और अपने सहयोगियों हेमंत जायसवाल, जोगेन्द्र सिंह, मोइनुद्दीन कुरैशी, निखिल चन्द्राकर, रोशन सिंह और अन्य के साथ मिलकर कोयले पर अवैध लेवी इकट्ठा करने की समानांतर व्यवस्था चलाने के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे और सूर्यकांत तिवारी के निर्देशों के अनुसार अवैध और बेहिसाब नगदी की आवा जाही कर रहे थे। उपयुक्त सभी सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों ने आयकर अधिकारियों के समक्ष दर्ज अपने बयानों में स्वीकार किया था कि वे सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर अवैध उगाही कर रहे थे। उपयुक्त कार्यवाही से प्राप्त आय का उपयोग अनुचित लाभ उठाने और भ्रष्ट और अवैध तरीकों से तथा व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके लोक सेवकों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था।

4– वर्तमान आवेदक की भूमिका यह है कि उसने सूर्यकांत तिवारी के निर्देशों के अनुसार अपराध की आय को संभाला है। उसने स्वीकार किया है कि दैनिक आधार पर एकत्रित अवैध नगद राशि को उसने अपने निवास पर रखा था और सूर्यकांत तिवारी के निर्देशों के अनुसार वह पी०ओ०सी० का भुगतान/स्थानांतरण करता था। इसके अलावा ई०डी० द्वारा की गयी फंड ट्रेल जांच के अनुसार यह स्पष्ट है कि उसने आवास प्रवृष्टियां

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के नाम का इस्तेमाल किया और अवैध नगदी को जमा किया और पी०ओ०सी० के धनशोधन के उद्देश्य से भू–संपत्ति अर्जित की। उसने अपराध की आय को भी संभाला और उसे छिपाने में सूर्यकांत तिवारी की मदद की। जप्त की गई डायरियों में पाई प्रविशिष्टियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि उसके अपने नाम पर 26 करोड़ रूपये का सीधा लेनदेन है। उसने अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने नाम पर कुछ संपत्तियां भी अर्जित की हैं, जिसमें अपराध की आय संपत्ति के पंजीकृत मूल्य से अधिक है। अपराध की आय से अर्जित अब तक पहचानी गई संपत्ति का पंजीकृत मूल्य केवल 13,36,000/–रूपये होना अनुमानित है। इन खरीदों में बेहिसाब नगदी का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार इन संपत्तियों की कीमत, जिन्हें खरीदा गया और फिर सुनील अग्रवाल को बेचा गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मीकांत तिवारी के हाथों में पी०आ ०सी० की एम०एल०ए० 2002 की धारा 2(1) यू, के अनुसार परिभाषा में शामिल है।

5– अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि वर्तमान आवेदन ने पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 50(2) और 50(3) के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया है कि ई० डी० के छापे की आशंका के बारे में अग्रिम सूचना मिलने पर उन्हें अपने भतीजे सूर्यकांत तिवारी का मो०नं० 6264044804 से फोन आया, जिसमें उन्हें अपना घर छोड़कर श्री अनमोल दुबे के आनंद नगर रायपुर के घर में रहने के लिए कहा गया। उन्होने यह भी स्वीकार किया कि सूर्यकांत तिवारी ने उन्हें श्रीरूप कुमार चौधरी के घर में रखी 1.5 करोड़ रूपये की राशि बाहर निकालने के लिए कहा था, उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि सूर्यकांत तिवारी द्वारा असुरक्षित ऋण दिखाकर ग्राम खरोरा, बसौंडा आदि में उनके नाम पर जमीन खरीदी गई है। इन जमीनों से अर्जित कृषि आय का उपयोग सूर्यकांत तिवारी द्वारा किया गया था। उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि वे सूर्यकांत तिवारी के कहने पर फर्म मेसर्स मां भद्रकाली और मेसर्स बजरंगबली बिल्डर्स में साझेदार बने और इस फर्म से संबंधित दस्तावेज सूर्यकांत तिवारी के पास है। उन्होने यह भी स्वीकार किया कि आयकर छापे के दौरान उनके घर से 6.5 करोड़ रूपये नगद और 3.25 करोड़ रूपये के आभूषण बरामद किए गए, जो उनके भतीजे सूर्यकांत तिवारी के हैं।

6– अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि उत्कर्ष तिवारी, जिसका बयान पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 50(2) और 50(3) के तहत दर्ज किया गया है, ने स्वीकार किया है कि सूर्यकांत तिवारी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी से एक रात पहले उससे और उसके पिता लक्ष्मीकांत तिवारी से बात की थी और 1.5 करोड़ रूपये की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नगद राशि रूप कुमार चौधरी के घर से स्थानांतरित करने के लिए कहा था।अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 50(2) और 50(3) के तहत दर्ज भूमि दलाल वेद प्रकाश साहू द्वारा दिए गए बयान में स्वीकार किया गया है कि सूर्यकांत तिवारी ने उन्हें 15 लाख रूपये नगद दिए थे, जिसे उन्होने अपने बैंक खाता में जमा किया था और सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर लक्ष्मीकांत तिवारी के खाते में राशि स्थानांतरित कर दी थी। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि आवेदक जो सूर्यकांत तिवारी का चाचा है और पेशे से वकील है, सूर्यकांत तिवारी द्वारा एकत्रित की गई अवैध नगदी को नियमित रूप से अपने घर में छिपाता और रखता था। नियमित रूप से उसके घर से 50 लाख से 02 करोड़ रूपये की नगदी रखी जाती थी और लक्ष्मीकांत तिवारी, सूर्यकांत तिवारी के निर्देशों के अनुसार नगदी को रखते, संभालते और परिवहन करते थे। यह तथ्य लक्ष्मीकांत तिवारी द्वारा पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में भी स्वीकार किया गया है और यह रजनीकांत तिवारी से जप्त की गई डायरियों की प्रवृष्टियों से भी स्पष्ट है। उससे यह भी स्थापित होता है कि आयकर विभाग द्वारा जप्त की गई डायरी में दर्ज प्रवृष्टियां सूर्यकांत तिवारी और उसके सहयोगियों द्वारा एकत्रित/स्थानांतरित/हैण्डल की गई नगदी का सही रिकार्ड है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7– अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि लक्ष्मीकांत तिवारी को पता था कि सूर्यकांत तिवारी द्वारा अवैध तरीके से नगदी प्राप्त की गई थी, फिर भी उसने इसे छिपाने में उसकी मदद की और उसने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां भी खरीदी। वह सूर्यकांत तिवारी की वफादारी से मदद करता रहा है। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि आयकर छापों के बाद भी उसने सूर्यकांत तिवारी की 1.5 करोड़ रूपये की नगदी को ठिकाने लगाने में मदद की थी। इस प्रकार लक्ष्मीकांत तिवारी ने सूर्यकांत तिवारी की मदद की थी। लक्ष्मीकांत तिवारी ने जानबुझकर अपराध की आय को छिपाने और उससे संपत्ति खरीद कर उसे बेदाग दिखाने में सूर्यकांत तिवारी की सहायता की है और इसलिए उन्हें पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 3 के तहत अपराध का दोषी पाया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

8– आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें आवेदक पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 45 के तहत अपवादों के तहत लाभ के लिए पात्र होगा। उन्होने आगे कहा कि अब जांच पूरी हो गई है, आवेदक को आगे हिरासत में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आवेदक ने सभी अवसरों पर जांच एजेंसी के

साथ सहयोग किया है और आवेदक द्वारा जमानत का दूरूपयोग करने या किसी भी तरह से जांच को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है और न ही वर्तमान आवेदक के फरार होने की कोई संभावना है।

9– उपर्युक्त सूचना/दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय पी०एम०एल०ए० 2002 के अपराध का मामला बनना प्रतीत होता है।

10– ई०सी०आई०आर० में वर्तमान आवेदक की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया कि वर्तमान आवेदक और सूर्यकांत तिवारी के अन्य सहयोगियों के बीच वित्तिय लेनदेन हुआ है। यह भी उल्लेख किया गया है कि सूर्यकांत तिवारी ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर महासमुंद, बेमेतरा, नया रायपुर आदि में कई अचल संपत्तियां खरीदी थी और पूरी खरीद का खर्च सूर्यकांत तिवारी ने ही दिया था, लेकिन

अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई इन सभी बेनामी संपत्तियों के विवरण का खुलासा नहीं किया गया, जैसे–जैसे बिक्रीपत्र, सर्वेक्षण आदि। अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई इन सभी बेनामी संपत्तियों का सर्वेक्षण आदि। अपराध की आय का पता लगाने के लिए एस०आर०ओ०/आई०जी०आर०एस० के रिकार्ड के साथ आगे की पूछताछ और आमना–सामना आवश्यक है और इसलिए रिमाण्ड का विस्तार आवश्यक है। सूर्यकांत तिवारी के विभिन्न अन्य सहयोगियों के पी०एम०एल०ए० 2002 की धारा 50 के तहत बयानों की रिकार्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उन बयानों का आरोपियों से आमना–सामना कराया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय को आरोपी व्यक्ति की आगे हिरासत की आवश्यकता है।

11– आगे कहा गया है कि जांच के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान आवेदक को सूर्यकांत तिवारी के करीबी, सहयोगी और रिश्तेदार होने के नाते उनकी बेनामी संपत्तियों/परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी है। आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय के वास्तविक उपयोग का पता लगाने और मुख्य आरोपी के ठिकानों का पता लगाने के लिए ई०डी० को वर्तमान आवेदक की आगे की हिरासत की आवश्यकता है।

12– अभियोजन पक्ष आवेदक और मुख्य आरोपी व्यक्ति के कब्जे से डायरियां भी बरामद करने में सफल रहा है, जिससे आवेदक और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्य आरोपी व्यक्तियों जैसे मनीष उपाध्याय, वर्तमान अावेदक आदि जो सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार बताए गए हैं, के बीच नगद धन के लेनदेन का पता चलता है।

13– आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 16.06.2022 को आरोप पत्र दायर किया गया है और उसमें षड़यंत्र के संबंध में कोई सबूत नहीं है। इसलिए न तो कर्नाटक और न ही छ०ग० में कोई अनुसूचित अपराध है और न ही पी०एम०एल०ए० 2002 में उल्लेखित कोई अनुसूचित अपराध है और इस अधिनियम में कार्यवाही कायम रखने योग्य नहीं है और जांच पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। वह आगे प्रस्तुत करेगा कि 16 जून 2023 को आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें अनुमानित अपराध का उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह आवेदक उन दोहरी शर्तों को पूरा कर रहा है, जो जमानत पाने के लिए पूरी होनी आवश्यक है। इस प्रकार आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। वह आगे प्रस्तुत करेगा कि आरोप पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चूंकि आवेदक पर छ०ग० में अपने गुर्गों के साथ भा०दं०सं० की धारा 384 के तहत अपराध का आरोप है, जिसके लिए उसे उचित माध्यम से छ०ग० पुलिस के पास प्रार्थना की जाएगी। साथ ही भा०दं०सं० की धारा 120 बी के तहत सबूतों के अभाव में अपराध साबित नहीं हुआ है, यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक को दं०प्र०सं० की धारा 195–ए (1) के अनुसार भा०दं०सं० की धारा 186 के तहत आरोप पत्र से बरी कर दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोप पत्र कन्नड़ भाषा में दायर किया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और आवेदक द्वारा अंग्रेजी प्रति प्रस्तुत की गई है। उन्होने आगे कहा कि मनीलॉड्रिंग का अपराध जिसके लिए आवेदक पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जांच एजेंसी के दिमाग में नहीं है और यह शिकायत का मामला है और विद्वान भा०दं०सं०वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार जांच का हिस्सा खत्म हो चुका है। ऐसे में हिरासत में रिमाण्ड की आवश्यकता नहीं है और आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त ने विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया ।

2022 एस०सी०सी० ऑनलाईन एस०सी० 929 पार्वती कोल्लुर बनाम राज्य द्वारा प्रवर्तन निदेशालय क्रि०अ० संख्या 1254/2022 (निर्णय दिनांक 16.08.2022) में रिपोर्ट किया गया। इन्द्राणी पटयानक व अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय व अन्य रि०पी० (क्रि०) संख्या 368/2021, निर्णय दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

03.11.2022 मे० डेक्कन माईनिंग सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय रि०पी० संख्या 288/2022, निर्णय दिनांक 22.04.2022, सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय बनाम मे० डेक्कन माईनिंग सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य एस०एल०पी० (क्रि०) डायरी संख्या 34047/2022, निर्णय दिनांक 05.12.2022। प्रवर्तन निदेशालय बनाम गगनदीप सिंह और अन्य एस०एल०पी० (क्रि०) डायरी संख्या 42315/2022, निर्णय दिनांक 10.02.2023, एम० नागराजन एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य एस०एल०पी० (क्रि०, 10917/2022) आदेश दिनांक 23.01.2023 हरिश फैबियानी एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय व अन्य 2022 एस०सी०सी० ऑनलाईन डेल 3121 (उच्च न्यायालय दिल्ली) में रिपोर्ट किया गया। संजय पाण्डेय बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2022 एस०सी०सी० ऑनलाईन डेल 4279 में रिपोर्ट किया गया। नरेश गोयल बनाम प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य सी०आर०एल० रि०पी० 4037/2022, 23.02.2023 को तय किया गया। पुष्पम अपाला नायडु एवं अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय सी०आर०एल० ओ०पी० 2279/2019, 12.09.2022 को तय किया गया (उच्च न्ययालय मद्रास) विजय साय रेड्डी बनाम प्रवर्तन निदेशालय याचिका संख्या 1261/2021, दिनांक 08.09.2022 को निर्णय (उच्च न्यायालय तेलंगाना) जगति प्रकाशन बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2022 एस०सी०सी० ऑनलाईन टी०एस० 1607 (उच्च न्यायालय तेलंगाना) में रिपोर्ट किया गया, मेसर्स भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य, सी०आर०एल० रिविजन केस नंबर 87/2021, 08.09.2022 को फैसला किया गया (उच्च न्यायालय तेलंगाना), राजीव शर्मा बनाम ई०डी०, 2022 एस०सी०सी० ऑनलाईन डेल 47 में रिपोर्ट किया गया, आशीष सिंह और अन्य बनाम राज्य और अन्य, सी०आर०एल०। ओ०पी० 30980 ऑफ 2019 (उच्च न्यायालय मद्रास), आर०के०एम० पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड बनाम ईइ०डी० और अन्य रि०पी० नंबर 24700 आॅफ 2021 (उच्च न्यायालय मद्रास), चिंटेल्य इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ, रि०पी० (सी०आर०एल०) 979/2020, 07.08.2020 को फैसला किया गया (उच्च न्यायालय दिल्ली), यश टुटेजा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, रि०पी० (सी०आर०एल०) 153/2023, आदेश दिनांक 28.04.2023 (एस०सी०), सदर्न एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एस०एल०पी० (सी०आर०एल०) संख्या 154–155/2023, आदेश दिनांक 10.04.2023 (एस०सी०), प्रवर्तन निदेशालय बनाम मेसर्स आेबुलापुरम मार्इनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सी०आर०एल० A. संख्या 1269/2017, आदेश दिनांक 02.12.2022 (एस०सी०), न्याय निर्णायक प्राधिकरण (पी०एम०एल०ए०) और अन्य बनाम अजय कुमार गुप्ता, सी०आर०एल० A. 391–392/2018, 02.12.2022 को तय (एस०सी०), ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स बनाम ए०ए०,पी०एम०एल०ए० रि०पी० (क्रि०) संख्या 11473/2022, 16.02.2023 को निर्णय लिया गया, र्इ०एम०टी०ए० कोल लिमिटेड बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, रि०पी० (क्रि०) संख्या 3821/2022, 10.01.2023 को निर्णय लिया गया (उच्च न्यायालय दिल्ली) ऋचा सक्सेना बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य रि०पी० 3901/2023 (जी०एम०–आर० ई० एस०), 30.05.2023 को निर्णय लिया गया (उच्च न्यायालय कर्नाटक), प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2022 एस०सी०सी० ऑनलाईन डेल 2087 (उच्च न्यायालय दिल्ली), मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य ने (1978) 1 एस०सी०सी० 405, पुलिस आयुक्त बॉम्बे बनाम गोरधनदास भानजी ने 1951 एस०सी०सी० ऑनलाईन एस०सी० 70, ओम प्रकाश बनाम भारतीय रेल मंत्रालय में रिपोर्ट की 2008 (108) डी०आर०जे० 462 में रिपोर्ट की गई अब्दुल शफीक हनफी बनाम उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद, 2002 एस०सी०सी० ऑनलाईन 344 में रिपोर्ट की गई सूर्य कुमार दीक्षित बनाम डी०आई०ओ०एस० जालौन, 1991 एस०सी०सी० ऑनलाईन ऑल 709 में रिपोर्ट की गई मेसर्स विजय नगर एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आई०एल०आर० 2002 के०ए०आर० 1231 में रिपोर्ट की गई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14– दूसरी ओर , जमानत आवेदन का विरोध करने वाले प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा बाद के घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाने के लिए दायर आवेदन में केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) बेंगलुरु द्वारा संज्ञान लेने के दिनांक 16.06.2023 के आदेश को कर्नाटक पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र प्रस्तुत किए बिना संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संज्ञान आदेश को कर्नाटक पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र की सामग्री के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए और केवल आरोप पत्र के बिना संज्ञान आदेश को पढ़ने से कर्नाटक पुलिस द्वारा अनुसूचित अपराध के तहत की गई जांच के संबंध में निष्कर्षों की अपूर्ण तस्वीर सामने आएगी। दिनांक 16.06.2023 के

संज्ञान आदेश पर आरोप–पत्र के हिस्से के रूप में प्रस्तुत अपराधों के प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का दावा करने के लिए सबसे अच्छा भरोसा किया जा सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। इस आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बेंगलुरु पुलिस द्वारा जांच पूरी हो गई है और अंतिम रूप ले चुकी है

15– उन्होंने आगे कहा कि आवेदक यह झूठा आख्यान बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मुख्य अपराध को खारिज कर दिया गया है। यहां तक की छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने भी मीडिया के सामने यह घोषणा करने से पूर्व रिकॉर्ड देखा है कि कोयला लेवी ई०सी०आई० डी० द्वारा प्राप्त आरोप–पत्र की प्रति का विश्लेषण किया गया है और इसके विवरण से पता चलता है कि आवेदक ने झूठी गवाही दी है और जमानत प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के चौंकाने वाले और हताश करने वाले प्रयास कर रहा है। ई०डी० ने आरोप–पत्र की प्रमाणित और अनुवादित प्रतियों के लिए आवेदन किया है और उन्हें नियत समय में पेश किया जाएगा। सामान्य तौर पर, ई०डी० आरोप–पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए इंतजार करता, लेकिन आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने के प्रयासों को देखते हुए, प्रतिवादी विभाग को तत्काल आधार पर तथ्यों को अपने ज्ञान में लाने की अनुमति देने के लिए, न्यायालय से अनुमति मांगी गई है। प्रमाणित प्रति के अभाव में, आरोप पत्र में प्रासंगिक पैरा यानी कॉलम नंबर 2 का अंग्रेजी में स्वतंत्र रूप से अनुवाद किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

(1) आरोपी ई०डी० (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(2) चूंकि यह देखा गया है कि आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य में भा०दं०सं० की धारा 384 के तहत अपराध किया है, इसलिए कार्यवाही करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस को उचित माध्यम से सूचना दी जाएगी। साक्ष्य के अभाव में आरोप–पत्र में भा०दं०सं० की धारा 120–बी हटा दी गई है।

(3) आरोप–पत्र में भा०दं०सं० की धारा 186 और दं०प्र०सं० की धारा 195–ए (1) हटा दी गई है।

16– वह यह भी प्रस्तुत करेंगे की कर्नाटक पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में उपरोक्त प्रासंगिक आरोप कॉलम संख्या 2 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि (ए) जांच पूरी नहीं हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(बी) धारा 384 भा०दं०सं० के तहत आरोप हटाए नहीं गए हैं। वास्तव में, बेंगलुरु पुलिस ने उस संबंध में कोई जांच नहीं की है और जांच/सहायता के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को लिखने की प्रक्रिया में है।

(सी) इसके अलावा, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि ई०डी० रायपुर ने 31.01.2023 को बेंगलुरु पुलिस को पी०एम०एल०ए० की धारा 66(2) के तहत अपनी विस्तृत अभियोजन शिकायत का खुलासा किया था। पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में इस खुलासे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। बेंगलुरु में आईटी विभाग द्वारा नगदी आदि की जप्ती पर भी, इस आरोप पत्र में चर्चा नहीं की गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ रहा है। वह यह भी प्रस्तुत करेगा कि यह भी पता चला है कि इसलिए आयकर विभाग, बेंगलुरु, धारा 120–बी भा०दं०सं० को हटाने के मामले में भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ई०डी० ने 24.03.2023 को पी०एम.एल०ए०, 2002 की धारा 66(2) के तहत समीर बिश्नोई आई०ए०एस० और मुख्य आरोपी व्यक्तियों में से एक सौम्या चौरसिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार को एक विस्तृत खुलासा किया है, जिसमें उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोल सिंडिकेट को सुविधाजनक बनाने के साथ–साथ सिंडिकेट द्वारा उत्पन्न अपराध की आय प्राप्त करने के लिए र्इ०डी० के निष्कर्षों की व्याख्या की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत एफ०आई०आर० दर्ज करनी चाहिए थी और ईडी द्वारा किए गए खुलासे की जांच करनी चाहिए थी। ई०डी० के पत्रों में बहुत गंभीर आरोपों का खुलासा हुआ है। इसलिए, जब तक ई०डी० द्वारा इस खुलासे की जांच और निपटा नहीं जाता, तब तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि तत्काल जबरन वसूली मामले में कोई अपराध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17– उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने न ही कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 21944/2022 (जी०एम०–आर०ई०एस०) में उक्त एफ०आई०आर० को चुनौती दी थी, जिसमें अपराध संख्या 129/2022 में 12.07.2022 को एफ०आई०आर० दर्ज करने और भा०दं०सं० की धारा 120 बी, 353 के तहत दंडनीय

अपराध के लिए 12.07.2022 को शिकायत दर्ज करने को चुनौती दी गई थी, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेंगलुरु के समक्ष लंबित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से पैराग्राफ 19, 20 में अपने निष्कर्ष दर्ज करके इसे खारिज कर दिया है, जो इस प्रकार है :–

"19. लेकिन इस मामले में, वर्तमान याचिका कर्ता का नाम न तो प्रथम सूचना में, न ही शिकायत/प्रथम सूचना में या भा०दं०सं० की धारा 384 के तहत अपराध की जांच के लिए पुलिस के अनुरोध पत्र में आया है, ताकि कडुगोडी पुलिस द्वारा दर्ज अपराध संख्या 129/2022 में एफ०आई०आर० और जांच को चुनौती दी जा सके। इस याचिकाकर्ता के पास जांच पर सवाल उठाने या आरोपी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ दर्ज एफ०आर्इ०आर० को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

20. पुलिस ने इस याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध संख्या 129/2022 में कोई मामला दर्ज नहीं किया है और न ही अभियोजन पक्ष ने इस अपराध संख्या के आधार पर कोई कार्यवाही शुरू की है। यह याचिकाकर्ता अपराध संख्या 129/2022 में आरोपी नहीं है, इसलिए, उसे इस न्यायालय के समक्ष इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार/अधिकार नहीं है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी और याचिकाकर्ता उससे व्यथित था, तो उसे छत्तीसगढ़ की अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा, ना कि इस मामले में, इस न्यायालय के समक्ष। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या आरोपी सूर्यकांत तिवारी भा०दं०सं० की धारा 384 के तहत अपराध के संबंध में बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य नष्ट करने में शामिल है, जो छत्तीसगढ़ में किया जा सकता है।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि अपराध संख्या 129/22 में बेंगलुरु में हुआ अपराध छत्तीसगढ़ में र्इ०डी० द्वारा पी०एम०एल० अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए एक पूर्वगामी अपराध नहीं हो सकता है, जिसमें इस याचिकाकर्ता को आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के लिए सह आरोपी बनाया गया था। इस पहलू में, जब सूर्यकांत तिवारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर पूर्वगामी अपराध का आरोप लगाया गया था और जब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था और इस याचिकाकर्ता को मनी लर्निंग मामले में सह आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए, उन्हें बेंगलुरु में किए गए अपराध को पूर्वगामी अपराध मानकर ईइ०डी० द्वारा मामला दर्ज करने के खिलाफ छत्तीसगढ़ के विशेष न्यायालय या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देनी होगी। बेशक वर्तमान में भा०दं०सं० की धारा 204, 186 और 354 के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भा०दं०सं० की धारा 120–बी और 384 के तहत मामले की पुलिस द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। यदि भा०दं०सं० की धारा 384 या 386 के संबंध में बेंगलुरु में कोई अपराध नहीं किया गया है, तो वह उक्त मामले को छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसके पास अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, विद्वान ए०एस०जी० द्वारा दिए गए फैसले और निहारिका के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और धर्मराज के मामले और सिद्धार्थ मुखर्जी के मामले में निर्धारित सिद्धांत के मद्देनजर, मेरा विचार है कि जब याचिकाकर्ता अपराध संख्या 120/2022 में आरोपी नहीं है और उसका नाम न तो एफ०आई०आर० या प्रथम सूचना बयान में पाया गया था या भा०दं०सं० की धारा 384 के तहत अपराध की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध में था यदि ई०डी० अपराध संख्या 129/2022 को एक पूर्वानुमेय अपराध मानता है और भा०दं०सं० की धारा 384 में किसी भी अपराध को शुरू करने की अनुसूची है कार्यवाही के दौरान इसे छत्तीसगढ़ राज्य के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए, जहां यह याचिकाकर्ता एक आरोपी है। इसलिए, इस याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका उपरोक्त कारणों से खारिज किए जाने योग्य है।"

18– प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि चूंकि वर्तमान आवेदक अपराध संख्या 129/2022 में अभियुक्त नहीं था, इसलिए वह पी०एम०एल०ए० 2022 के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधेय अपराध को शामिल न करने का कोई लाभ नहीं उठा सकता। उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को विधेय अपराध में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है, जिसके खिलाफ विधेय अपराध में अभियोजन को रद्द कर दिया गया है या उसे बरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर दिया गया है, लाभ उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है जिसे विधेय अपराध में अभियुक्त के रूप में आरोपित नहीं किया गया है, क्योंकि पी०एम०एल०ए० के तहत अपराध एक अलग अपराध है और विधेय अपराध से अलग और विशिष्ट है और जमानत आवेदन को खारिज करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी के विद्वान वकील **ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट (2014) 2 एस०सी०सी० 1 में की गई थी, जिसमें पैराग्राफ 87 में निम्नानुसार माना गया है :–

> "87. संहिता में दो प्रकार की एफ०आई०आर० का प्रावधान है। धारा 154(1) के तहत विधिवत हस्ताक्षरित एफ०आई०आर० मुखबिर द्वारा पुलिस स्टेशन में संबंधित अधिकारी को दर्ज कराई जाती है। दूसरी तरह की एफ०आई०आर० वह हो सकती है जो पुलिस द्वारा किसी सूचना पर या मुखबिर के माध्यम से प्राप्त सूचना के अलावा किसी अन्य माध्यम से दर्ज की जाती है। [धारा 157(1)] और यहां तक की इस सूचना को भी विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और इसकी प्रतिलिपि तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। धारा 154(1) के तहत मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर या अन्यथा धारा 157(1) के तहत एफ०आई०आर० दर्ज करना अनिवार्य है..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, इस स्तर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 और 120–बी के तहत अनुसूचित अपराधों की घटित होने की सभी संभावनाओं को खारिज करना जल्दबाजी होगी।

19– वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करेंगे, जिसमें पैराग्राफ 33 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :–

> "33. इसी तरह, यदि किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि में नामित व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा बरी किए जाने, दोषमुक्त किए जाने या उसके खिलाफ आपराधिक मामले (अनुसूचित अपराध) को रद्द किए जाने के आदेश के कारण अंततः दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या उसके माध्यम से युक्त अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति के संबंध में दावा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन

के लिए, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस व्याख्या को अकेले ही 2002 अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 2(1)(यू) के साथ धारा 3 के आधार पर समर्थन दिया जा सकता है। कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाना इन प्रावधानों को फिर से लिखना होगा और परिभाषा खंड "अपराध की आय" की स्पष्ट भाषा की अवहेलना करना होगा, जैसा कि यह अब तक प्राप्त होता है।"

20– उन्होंने आगे कहा कि आयकर विभाग मुख्य एजेंसी है, जो इस मामले की जांच कर रही है और जिसकी शिकायत पर पी०ए० कडूगोडी, व्हाइट फील्ड, बेंगलुरू द्वारा एफ०आई०आर० 129/2022 दर्ज की गई थी। आयकर विभाग ने सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी (तत्काल आवेदक), निखिल चंद्राकर, राहुल कुमार सिंह, नवनीत तिवारी, पारेख कुमार कुर्रे, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, चंद्र प्रकाश जायसवाल, रोशन कुमार सिंह, हेमंत जायसवाल, जोगेंदर सिंह, मनीष उपाध्याय और समीर बिश्नोई के खिलाफ सक्षम फोरम के समक्ष भा०दं०सं० की धारा 420 और 120 बी के तहत अभियोजन शिकायत की है। आयकर विभाग द्वारा दायर की गई शिकायत में भा०दं०सं० की धारा 420 और 120–बी के तहत अपराध करने का भी आरोप लगाया गया है, जो पी०एम०एल०ए० 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं । यह एक नया अपराध है जो छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले से संबंधित है और वास्तव में, कोयला ट्रांसपोर्टरों से लेवी की अवैध वसूली पर धोखाधड़ी और कर चोरी की साजिश में शामिल होने के लिए नामित आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस नए अपराध को फाइल संख्या ई०सी०आई०आर०/आर०पी०जेड०आ ०/9/2022 में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल किया गया है और इसकी सूचना तुरंत पी०एम०एल०ए० न्यायाधिकरण को दे दी गई है।

21– वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि भा०दं०सं० की धारा420 पी० एम० एल० ए० 2002 के तहत एक अनुसूचित अपराध है और आई० टी० विभाग द्वारा लागू किया गया है , इसकी भी पी०एम०एल०ए०, 2002 की धारा 3 के उल्लंघन में अपराध की आय के संभाविज सृजन और उसके स्तरीकरण की कोण से जांच करनी होगी। इस प्रकार, अभियुक्त का यह तर्क कि कोई पूर्ववर्ती अपराध नहीं है , तथ्यात्मक रूप से सच्चाई से बहुत दूर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में किए गए प्रस्तुतियों के आलोक में, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मौजूदा अनुसूचित अपराध नहीं है, जैसा कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आवेदक ने दावा किया है। इस संबंध में,**आपराधिक अपील संख्या 534/2023 (@एसएलपी(सीआर) संख्या 8260/2021) प्रवर्तन निदेशालय बनाम एम० गोपाल रेड्डी और अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें पैराग्राफ 6.1 में निम्नानुसार देखा गया है :–

> "6.1 अब जहां तक प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का संबंध है, प्रतिवादी क्रमांक 01 अनुसूचित अपराध के संबंध में एफ०आई०आर० में नामजद नहीं था तथा अन्य आरोपियों को उन्मोचित/दोषमुक्त किए जाने के कारण ही प्रतिवादी क्रमांक 1 के खिलाफ जांच जारी न रखने का यह आधार नहीं हो सकता। अनुसूचित अपराधों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ जांच चल रही है। इसलिए, इस स्तर पर जांच ही पर्याप्त है।"

22– वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि अनुसूचित एफ०आई०आर० में आवेदक या आरोपी को अनुसूचित अपराध करने से न तो उन्मोचित और न ही दोषमुक्त किया गया है और न ही अनुसूचित अपराध की एफ०आई०आर० को रद्द किया गया है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन को कृपया खारिज किया जावे। अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए वह इन मामलों में फैसलों का भी हवाला देंगे, पंकज ग्रोवर बनाम ईइ०डी० विविध दांडिक अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 428 दं०प्र०सं० क्रमांक 7661/2021 (निर्णय दिनांक 26.08.2021) मोहम्मद आरिफ बनाम प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार बी०एल०ए०पी०एल० संख्या 2607/2020 (13.07.2020 को तय), लक्ष्मीकांत तिवारी बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 21944/2022 (जी०एम०आर०ई०एस०) (29.11.2022 को निर्णय) राधा मोहन लखोटिया बनाम उपनिदेशक, पी०एम०एल०ए० राजस्व विभाग, प्रथम अपील संख्या 527/2010 (दिनांक 05.08.2010 को निर्णय) वाई०एस० जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई, रिपोर्टेड (2013) 7 एस०सी०सी० 439.

23– मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा केस डायरी सहित रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों का अत्यंत संतुष्टिपूर्वक अवलोकन किया है।

24– मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय के लिए पी०एम०एल० अधिनियम 2002 की धारा 45 को उद्धृत करना समीचीन है, जो निम्नानुसार है :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पी०एम०एल०ए०, 2002 की धारा 45–अपराधों का संज्ञेय और गैर–जमानती होना। (1) [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, (इस अधिनियम के तहत) किसी अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंध पत्र पर तब तक रहा नहीं किया जाएगा जब तक कि –]

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार है या अशक्त है [या अकेले या अन्य सह अभियुक्तों के साथ एक करोड रुपए से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोपी है], जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है :

आगे यह भी प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि लिखित रूप में निम्नलिखित द्वारा शिकायत न की जाए–.....

(i) निर्देशक; या

(ii) केंद्रीय सरकार या सरकार का कोई अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त या उस सरकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो। [(1–क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण तब तक नहीं करेगा, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत ना किया जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जा सकें ।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) या जमानत मंजूर करने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन सीमाओं के अतिरिक्त है।"

25– मैंने आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों पर भी विचार किया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग हैं , क्योंकि जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत समापन रिपोर्ट, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है। चूंकि वर्तमान आवेदक अपराध संख्या 129/2022 में आरोपी नहीं है, इसलिए वह पी०एम०एल०ए०, 2002 के तहत जमानत पाने या जमानत देने की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए भा०दं०सं० की धारा 120 बी के तहत बेंगलुरु में पुलिस द्वारा कथित रूप से बरी किए जाने का कोई लाभ नहीं उठा सकता है। साथ ही इस दलील पर विचार करते हुए कि आवेदक ने प्रथम दृष्टया सबूत के बोझ को उलट नहीं दिया है और अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया है, जो अनिवार्य है। **मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा एन० उमाशंकर बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, के एम०ए०एन०यू०/एस०सी०ओ ०आर० /25324/2022** में रिपोर्टेड फैसले पर भी विचार किया गया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने पी०एम०एल०ए०, 2002 की धारा 45 की जांच की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रतिवादी द्वारा प्रति–शपथ पत्र में इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि एकत्र किए गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि सभी आरोपियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन के कार्य किए हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है और याचिकाकर्ताओं ने पुलिस हिरासत के दौरान भी उनके साथ सहयोग नहीं किया और शिकायत दर्ज होने के बावजूद आगे की जांच भी जारी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस०एल०पी० (सी०आर०एल०) संख्या 7563–7565/2021 में भी प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जांच के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया और इसलिए याचिकाकर्ताओं को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विद्वान विशेष लोक अभियोजन द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में यह

भी लाया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज होने के बाद भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नई कंपनियां शुरू की है। अन्य नामों का उपयोग करना।

19. याचिका कर्ताओं के पिछले आचरण को देखते हुए यह अदालत यह नहीं मानती है कि याचिकाकर्ता कथित अपराधों के दोषी नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं दे सकता कि याचिकाकर्ता जमानत पर रहते हुए अपराध करने की संभावना नहीं रखते हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है की याचिकाकर्ता कानून की प्रक्रियाआें से बचने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भाग सकते हैं। इन परिस्थितियों में, हम याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, परिणामस्वरुप, अपराधिक मूल याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोई लागत नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26– मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त एन० उमाशंकर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस०एल०पी० संख्या 620/2022 प्रस्तुत की है, जिसे दिनांक 25.02.2022 को खारिज कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

"हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिकाएं तदानुसार खारिज की जाती हैं।"

हालांकि, हम अभियोजन पक्ष/जांच एजेंसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि मुकदमा पूरी तेजी से पूरा हो। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाता है।"

27– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रवर्तन निदेशालय बनाम आदित्य त्रिपाठी (अापराधिक अपील संख्या 1401/2023)** में दिनांक 12.05.2023 को निर्णय देते हुए पैराग्राफ 6 और 7 में निम्नानुसार अभिनिर्णय दिया है :–

"6. सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबंधित प्रतिवादी नंबर 1– आरोपी, अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं और पी०एम०एल० अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराधों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत

दंडनीय है। एफ०आई०आर० संख्या 12/2019 के संबंध में अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी भी जांच चल रही है। एक बार, संबंधित प्रतिवादी क्रमांक 1 के खिलाफ पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के लिए जांच चल रही है। पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार किया जाना आवश्यक है। पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 की धारा 45 इस प्रकार है :–

"45. अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना।–(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, [इस अधिनियम के अधीन] किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि–

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है ; और

(ii) जहां सरकारी अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है :

बशर्ते की कोई व्यक्ति, जो 16 वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है [या अकेले या अन्य सह अभियुक्तों के साथ एक करोड रुपए से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोपी है], जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है :

आगे यह भी प्रावधान है कि विशेष न्यायालय धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि लिखित रूप में निम्नलिखित द्वारा शिकायत ना की जाए–

(i) निर्देशक; या

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उस सरकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया हो। [(1–क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण तब तक नहीं करेगा, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जा सकें ।]

(2,) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत मंजूर करने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन सीमाओं के अतिरिक्त है।"

उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय और आदेश द्वारा तथा जमानत प्रदान करते समय पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार नहीं किया है।

6.1 वैसे भी उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्रकृति और मनी लॉन्ड्रिंग तथा पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इन्हें मनी लांड्रिंग के बहुत गंभीर आरोप कहा जा सकता है जिनकी अच्छी तरह से जांच की आवश्यकता है।

6.2 अब जहां तक संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का सवाल है कि संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अनुसूचित अपराध (ओं) के संबंध में एफ०आई०आर० में नहीं था और/या जहां तक पूर्व निर्धारित अपराधों का संबंध है, सभी अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है, केवल इसलिए कि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है, यह संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में जांच जारी न रखने का आधार नहीं हो सकता है। अनुसूचित अपराधों के संबंध में संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ जांच चल रही है। इसलिए, अनुसूचित अपराधों के लिए जांच ही इस स्तर पर पर्याप्त है।

6.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय(आें) और आदेश (आें) से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के विचार में यह बात

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है कि संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और इसलिए, जांच पूरी हो गई है। हालांकि, उच्च न्यायालय यह नोटिस करने और समझने में सफल रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। केवल इसलिए कि, आरोपित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया जा सकता है, यह पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है। आरोपित अपराधों के लिए जांच और पी०एम०एल० अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अलग और विशिष्ट है । इसलिए, उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचार को ध्यान में रखा है। पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी जारी है।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने न तो पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार किया है और न ही पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ आरोपित अपराधों की गंभीरता पर विचार किया है और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि पी०एम०एल० अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी चल रही है और इसलिए, संबंधित प्रतिवादी क्रमांक 1 को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश टिकाऊ नहीं है और उपरोक्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद जमानत आवेदनों पर नए सिरे से निर्णय के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजे जाने की आवश्यकता है।"

28– कर्नाटक उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए लक्ष्मीकांत तिवारी (वर्तमान आवेदक (सुप्रीम कोर्ट), जिसमें माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध संख्या 129/2022 में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष ने इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपराध संख्या के आधार पर कोई कार्यवाही शुरू की है और याचिकाकर्ता अपराध संख्या 129/2022 में आरोपी नहीं है, ऐसे में, अपराध संख्या 129/22 में बेंगलुरु में अपराध हुआ, जो छत्तीसगढ़ में ईइ०डी० द्वारा पी०एम०एल०ए०, 2002 के तहत मामला दर्ज करने के लिए अनुमानित अपराध नहीं हो सकता है, जिसमें आवेदक सह आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है और वर्तमान आवेदक को सहआरोपी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए, भले ही यह माना जाता है (रिकॉर्ड पर किसी बेहतर सामग्री या सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है) कि कोई अनुमानित अपराध नहीं लगाया गया है खारिज कर दिया और केस डायरी और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर भी विचार किया, जो प्रथम दृष्टया आवेदक की अपराध में संलिप्तता को दर्शाती है, इसलिए, मामले की संपूर्णता पर विचार करते हुए, यह अदालत इस राय पर है कि आवेदक पी०एम०एल०ए०, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, इस तरह, यह आवेदक को जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29– तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 439 के तहत दायर जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है।

30– इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का कोई प्रभाव मामले की सुनवाई पर नहीं पड़ेगा।

विद्वान ट्रायल कोर्ट, वर्तमान जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य, सामग्री के अनुसार आपराधिक मुकदमे का फैसला करेगा।

Sd/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur